

nt>

Title: Need to direct Chandigarh Housing Board to allot plots to Co-operative Housing Societies early.-Laid

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति महोदय, चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश है। वहां पर आवासीय मकानों की भारी कमी है। इस कारण बहुत से लोगों ने मिल-जुल कर सस्ते में मकान बनाने के लिए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटीज का गठन किया है।

पिछले कई वर्षों से चंडीगढ़ प्रशासन ऐसी सोसायटीज को मकान बनाने के लिए प्लॉट देता रहा है। इसके बाद प्रशासन ने निर्णय किया कि वह आगे से जमीन प्लॉट के लिए नहीं बल्कि सब को फ्लैट बनाने के हिसाब से जमीन एलाट करेगा। इसके बाद कई सोसायटीयों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केस कर इस निर्णय को चुनौती दी परन्तु उन्हें इसमें अधिक सफलता नहीं मिली। न्यायालय के निर्णय के बाद चंडीगढ़ प्रशासन एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने इन सोसायटीज को पत्र लिख कर उनसे पहले से जमा कराई गई राशि के अन्तर्गत और धन जमा करवाने के लिए कहा। इस पर इन लोगों ने अधिक धन जमा करवा दिया। लिहाजा अब तक बहुत सारी सोसायटीज ने कुल लागत का लगभग २५ प्रतिशत धन जमा करवा दिया है। इसके बावजूद चंडीगढ़ प्रशासन एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अभी तक इन लोगों को जमीन का एलाटमेंट करना शुरू नहीं किया है। इस कारण इन लोगों की जिज्ञासा बढ़नी शुरू हो गई है तथा ये लोग मांग करने लगे हैं कि उन्हें बिना विलम्ब किए तुरन्त मकान बनाने के लिए जमीन एलाट करनी शुरू की जाए। मकान बनाने की कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ते रहने के कारण ये लोग मकान बनाने में एक दिन की भी देरी नहीं करना चाहते। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह चंडीगढ़ प्रशासन एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को यह निर्देश दे कि वह ऐसी हाउसिंग सोसायटीज को तुरन्त मकान बनाने के लिए जमीन एलाट करने का तुरन्त निर्देश देने की कृपा करे।